

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 104वीं बैठक दिनांक 3.5.2006 का कार्यवाही विवरण ।

= 34 / E.C. 3/5/06

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
1.	104.1	कार्यकारी समिति की 103वीं बैठक दिनांक 29.3.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट-1	विचार विमर्श पश्चात् कार्यकारी समिति की 103वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना की पुष्टि की गई है।		
2.	104.2	पृथ्वीराज नगर के सफल आवेदकों में से विलम्प के आधार पर राशि वापिस ले ली गई है उनमें से 25 सफल आवेदकों द्वारा प्राधिकरण की ओर से चाहे गये विकल्प के आधार पर ही आवेदन पत्र मय डिमान्ड ड्राफ्ट के जमा कराने के उपरान्त भूखण्ड देने की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् जिन 25 आवेदकों ने डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर विकल्प प्राधिकरण में जमा कराये हैं उनको जोन के प्रस्तावानुसार कानोता स्थित कल्पना नगर योजना में अन्य सफल आवेदकों की तरह भूखण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
3	104.3	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के प्रकरणों में सड़क मार्गाधिकार की भूमि व प्लान्टेशन कोरीडोर की भूमि निःशुल्क समर्पित कराने एवं 90बी में कुल 75 मीटर भूमि जविप्रा के नाम दर्ज होने एवं इस भूमि को वापिस खातेदार के नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् जोन के प्रस्तावानुसार प्रकरण का अनुमोदन किया गया । 1. जोन उपायुक्त के प्रस्तावानुसार बिन्दू संख्या 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग व रोड़ कांप्रेस प्राक्धानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण में व अन्य संबन्धित प्रकरणों जिनमें स्यान्तरण की कार्यवाही कर दी गई है उनमें गुणावगुण के आधार पर 90बी का रिव्यू कर सकेंगे। 2. जोन उपायुक्त के प्रस्तावानुसार बिन्दु संख्या दो में यह निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में भी ऐसे प्रकरणों में समस्त भूमि की 90बी की कार्यवाही नहीं की जाकर केवल नियमानुसार रूपान्तरण योग्य भूमि की ही 90बी की कार्यवाही की जावे । रूपान्तरण आदेश में यह शर्त रखी जावे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर की 75 मीटर भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा ।	उपायुक्त जोन-11	
4	104.4	श्री कुलदीप सिंह कुल्हार, सहायक अभियंता (सिविल) प्रतिनियुक्ति पर सेक्टर अभियंता की प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण स्थगित किया गया।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
5	104.5	श्री भगवान सहाय सैनी, अमीन की प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्ष पश्चात् 1 वर्ष की अभिवृद्धि की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण स्थगित किया गया।	अति आयुक्त (प्रशासन)	
6	104.6	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा, हिगोनिया, भटेसरी, भूरथल, कानडवास, सिन्दौली तहसील बस्ती का कुल रकबा 10391 बीघा 10 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से इकोलोजिकल प्रयोजनार्थ की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कायोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	

3/5/06

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
7	104.7	श्री बी.डी.शर्मा, साईट अभियंता की प्रतिनियुक्ति अवधि में 4 वर्ष पश्चात् दिनांक 30.6.06 तक की अभिवृद्धि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण स्थगित किया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
8	104.8	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम व तहसील चौमू के निजी खातेदारी के खसरा नम्बर 6467 रकबा 0.24 हेक्टर, एवं 6467/7571 रकबा 0.05 हेक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.29 हेक्टर भूमि मू-उपयोग सरकारी व अर्द्धसरकारी क्षेत्र से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
9	104.9	Construction of road in Zone-2 Area (Rate Contract)	विचार विमर्श पश्चात् जोनल अभियन्ता-2 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Zonal Engineer-2	
10	104.10	श्री अनिल गोयल, सहायक अभियंता प्रतिनियुक्ति पर सेक्टर अभियंता की प्रतिनियुक्ति में अभिवृद्धि बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण स्थगित किया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
11	104.11	श्री सूरजमल, गोपाल लाल अग्रवाल के जय जवान गृ.नि.स.समिति की स्कीम नं.-2 के आवासीय मूखण्ड 12, 12ए क्षेत्रफल 691.50 वर्गगज में से टॉक रोड में आने वाली भूमि 167.11 वर्गगज जविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर 524.39 का मू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् निदेशक (आयोजना) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया गया।	उपायुक्त जोन-4	
12	104.12	जयपुर विकास प्राधिकरण की पीताम्बरा आवासीय योजना, राजभवन कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय योजना एवं कल्पना नगर आवासीय योजना की आरक्षित दर की स्वीकृति हेतु।	विचार विमर्श पश्चात् पीताम्बरा आवासीय योजना की आवासीय आरक्षित दर 900/-रूपये प्रति वर्ग गज एवं राजभवन कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु आवासीय योजना एवं कल्पना नगर आवासीय योजना की आवासीय आरक्षित दर 2000/-रूपये प्रति व.मी. रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
13	104.13	सीकर रोड पर सृजित की गई आनंद लोक आवासीय योजना की आरक्षित दर अनुमोदन करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् आनंद लोक आवासीय योजना की आवासीय आरक्षित दर रूपये 2300/-प्रति व.मी. रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से					
14	104.14	Approval of tender for the work of Construction of multi Level Parking in JDA office campus Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् जोनल अभियन्ता-4 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगित किया गया।	Zonal Engineer-4	

31/5/06

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	सुझाव / निर्णय	सम्बन्धित अधिकारी	अनुपालना
15	104.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजारव ग्राम बावड़ी (सरनाइगर) तहसील जयपुर के खरार न. 307 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा अर्थात् 9377.5 वर्ग गज भूमि में से सामने 100 फीट सड़क में आगे वाली 738.68 वर्ग गज भूमि जविप्रा को नि: शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 8638.62 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शित ग्रामीण से औद्योगिक किये जाने के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-12	
16	104.16	Approval of tender for two Level underground Parking at Ramniwas Garden, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् जोनल अभियन्ता- (टीए सल) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन न्यायालय की अनुमति मिलने पर किया गया। (Subject to Court Permission)	Zonal Engineer (TA Cell)	
17	104.17	राजपूताना प्रा.लि. सरावगी मेन्शन के व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के भवन मानचित्र नियमबद्ध किये जाने के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात् निदेशक (आयोजना) के प्रस्तावनुसार प्रकरण अनुमोदित किया गया।	निदेशक (आयोजना)	
18	104.18	पुनर्गठित भूखण्ड सख्या एस.एम. 28 एवं एस.एम. 44 क्षेत्रफल 500 वर्गगज का योजना न्यू सांगानेर बाईपास (मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति) का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात् निदेशक (आयोजना) के प्रस्तावनुसार प्रकरण अनुमोदित किया गया।	निदेशक (आयोजना)	
19	104.19	पुनर्गठित भूखण्ड सख्या एस.एम. 27 एवं एस.एम. 45 क्षेत्रफल 489.24 वर्गगज का योजना न्यू सांगानेर बाईपास (मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति) का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबध में।	विचार विमर्श पश्चात् निदेशक (आयोजना) के प्रस्तावनुसार प्रकरण अनुमोदित किया गया।	निदेशक (आयोजना)	
20	104.20	ए एण्ड ए टाउनशिप डवलपमेन्ट प्रा.लि. को उसकी अवाप्तशुदा भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि हाथोज विस्तार योजना में देने बाबत।	विचार विमर्श के पश्चात् प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्त श्री भरत व्यास की राय के अनुसार 25 प्रतिशत भूमि मुआवजे के रूप में दिये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। उक्त मुआवजा देने के लिए योजना में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर श्री भरत व्यास की राय के अनुसार जविप्रा की सक्षम समिति (पी.डब्ल्यू.सी.) के अनुमोदन के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से इसका अनुमोदन करवाया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत भूमि मुआवजे के तौर पर देने के निर्णय का अनुमोदन भी माननीय अध्यक्ष महोदय से करवाया जावे।	उपायुक्त जोन-12	